भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3593
उत्तर देने की तारीख : 10.08.2023

एमएसएमई को ऋण सुविधाएं

3593. श्री तापिर गाव:
श्री लल्लू सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारी बैंकों को संपूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने एमएसएमई को आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी अन्य योजना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : एमएसएमई को सुगम क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना इत्यादि शामिल हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) सहकारी बैंकों के सहित अपने सदस्य ऋण प्रदाता संस्थाओं को उनके द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट के लिए गारंटियां प्रदान करता है।

*****